

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।


पत्रांक/ 1179 /स0शि0अभि0/2019-20/

दिनांक : 05 / 12 / 2019

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 से आच्छादित होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल, रूडकी रोड, मुजफ्फरनगर गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की श्रेणी में होने के कारण निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 से आच्छादित है।





(रामसागर पति त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला मुजफ्फरनगर शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर